न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 01/2025
3. उनवान : सरकार जरिये श्री रमेश चन्द यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. श्री राकेश कूडी पुत्र श्री चोथूराम कूडी (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स श्याम एन्टप्राइजेज
   गोपाल कॉम्पलेक्स, शाप नं. 1, नियर युको बैंक, नरैना, फुलेरा, जयपुर
   निवासी–उजास की ढाणी, नरैना, फुलेरा, जयपुर–303348
   मोबाइल नं. 9057276572
2. रघुनन्दन साहु (प्रोपाराइटर)
   मैसर्स कमल तेल घानी उद्योग
   मकान नं. 771, कटला बाजार, कुम्हारो का मौहल्ला
   नरैना, जयपुर–303348
3. राजेन्द्र बाबुलाल बजाज (निदेशक)
   मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग कम्पनी एवं डिस्ट्रीब्यूटर लि.
   खसरा नं. 2290, 2291, ग्राम–दहमीकलां, बगरूकलां, बगरू, जयपुर–303007
4. अशोक कुमार माटोलिया (निदेशक)
   मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग कम्पनी एवं डिस्ट्रीब्यूटर लि.
   खसरा नं. 2290, 2291, ग्राम– दहमीकलां, बगरूकलां, बगरू, जयपुर–303007
5. पंकज सोमानी (निदेशक)
   मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग कम्पनी एवं डिस्ट्रीब्यूटर लि.
   खसरा नं. 2290, 2291, ग्राम– दहमीकलां, बगरूकलां, बगरू, जयपुर–303007
6. अविनाश हेंमत काबरा (पार्टनर)
   मैसर्स श्री मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी
   विष्णु सागर रोड, नियर मुन्नी आश्रम
   मेडता सिटी , नागोर, राज.–341510
7. केशव काबरा (पार्टनर)
   मैसर्स श्री मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी
   विष्णु सागर रोड, नियर मुन्नी आश्रम
   मेडता सिटी , नागोर, राज.–341510
8. मीना काबरा (पार्टनर)
   मैसर्स श्री मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी
   विष्णु सागर रोड, नियर मुन्नी आश्रम

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

मेडता सिटी , नागोर, राज.–341510

9. स्नेहा काबरा (पार्टनर)
मैसर्स श्री मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी
विष्णु सागर रोड, नियर मुन्नी आश्रम
मेडता सिटी , नागोर, राज.–341510

10. राजेन्द्र सिंह शेखावत (Authority Signature)
मैसर्स श्री मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी
विष्णु सागर रोड, नियर मुन्नी आश्रम
मेडता सिटी , नागोर, राज.–341510

–अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 08-04-2026
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51 एवं 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक रमेश चन्द यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 27–02–2024 को समय दोपहर 3.30 पी.एम. पर मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राइजेज, गोपाल कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 1, नियर यूको बैंक, नरैना, फुलेरा जयपुर पहुंचे। वहां पर श्री राकेश कूडी पुत्र श्री चोथूराम कूडी उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री राकेश कूडी से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान एक रैक में कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) के 500 ग्राम पैक्ड वजन वाले 13 सीलबन्द पैकेट आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखे हुए थे। जिसमें गुणवता में कमी/मिसब्राण्ड का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 04 सीलबन्द पैकेट (500gmX4) कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) खरीदकर उसकी कीमत 660/– रूपये विक्रेता श्री राकेश कूडी को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री प्यारेलाल एवं श्री राजेश शर्मा एवं नंदकिशोर कुमावत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राकेश कूडी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री राकेश कूडी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 सीलबन्द पैकेट (500gmX4) कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) को विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय द्वारा दिए कोड एवं क्रमांक AN-3938 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए तथा फ़र्म के विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AN-3938 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर, नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाए कि पेपर स्लीप व रैपर दोनों पर अंकन आए। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किए तया चारों नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फॉर्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसने नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की एक प्रति की आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर की जमा करा कर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म नंबर 6 की प्रति अलग ने एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की जमा कराकर प्रत्येक भाग की रसीदें प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/861 दिनांक 19.03.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या–एलएस/645/एक्ट/2024/861 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया। खाद्य पदार्थ कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) सबस्टेण्डर्ड एवं Contravenes Regulation No 2.9.3.2 होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता श्री राकेश कूडी, फर्म मैसर्स– कमल तेल घाणी उद्योग, 771, कट्टेला बाजार, कुम्हारों का मौहल्ला, नरैना जयपुर को लिखा गया। पत्र क्रमांक 788 दिनांक 25.07.2024 एवं प्रतिउत्तर में प्राप्त फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी की आरसी, मालिक के आधार कार्ड एवं माल के अग्रिम खरीद बिल की छाया प्रतियां आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले की समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत की गई, जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय ने पत्र क्रमांक –एफ.एस.एस.ए. /2025/147 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण सबस्टेन्डर्ड एवं Contravenes Regulation No 2.9.3.2 का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जिनका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित है।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 लगा. 10 अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 17.06.2025 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसमें अंकित है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2024 को श्री श्याम एन्टरप्राईजेज का निरीक्षण कर कुटी लाल मिर्च का नमूना लेकर विश्लेषण हेतु भेजा गया जो दिनांक 11.03.2024 को सबस्टेण्डर्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त खाद्य पदार्थ के सैम्पल लेने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम योग्यता नहीं रखते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रजनीश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12076/2018 में इस मामले में दिनांक 15.01.2020 को निर्णय दिया गया। निर्णय में कहा गया कि नियोक्ता को पद की आवश्यकता और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, यह निर्णय लेना होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोशन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य 2016 एससीसी ऑनलाइन राज 3606) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 51/2016 में आदेश दिया कि दिनांक 5.5.2011 को भारत के राजपत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 (जिन्हें आगे नियम 2011 कहा जाएगा) प्रकाशित किए गए। नियम 2.1.3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिये योग्यता है कि उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, इस नियम के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। इन नियमों के लागू होने की तिथि पर, कोई व्यक्ति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत खाद्य निरीक्षक के रूप में पहले से ही नियुक्त किया गया है, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन कर सकता है, बशर्ते वह अधिकारी राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो। राज्य सरकार, ऐसे मामलों में जहाँ स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का कोई चिकित्सा अधिकारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन खाद्य निरीक्षक का कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी ऐसे चिकित्सा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकती है। परन्तु यह भी कि उपरोक्त खंड 2 और 3 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को इन नियमों के प्रारंभ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। हस्तगत प्रकरण में कम्पनी उत्तराधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 66 की उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के नियम 2.5 में कम्पनी के उत्पादन हेतु कम्पनी का उत्तराधिकारी अथवा उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। अप्रार्थीगण को बहस हेतु कई अवसर प्रदान करने के पश्चात भी वे बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या–एलएस/645/एक्ट/2024/861 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes Regulation No. 2.9.3.2 होना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया गया है जिनको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित जुर्माना से दण्डित किया जावे।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या–एलएस/645/एक्ट/2024/861 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes Regulation No. 2.9.3.2 होना पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) का विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड कुटी लाल मिर्च (लक्ष्मी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है, जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 51 व 54 के तहत सभी 10 अभियुक्तों पर पृथक–पृथक **20,000–20,000 बीस–बीस हजार** रुपये शास्ति राशि आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 08-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार माथुर)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर